

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद

रा.मा.वि.सं. मानसिक मंदन/निःशक्तजानो को समान अवसर, अधिकारो की रक्षा एवं पूर्ण सहभागिता देता है।

लक्ष्य एवं उद्देश्य:

- मानव संसाधन विकास
- अनुसंधान एवं विकास
- देखभाल एवं पुनर्वसन के प्रारूपों को विकसित करना
- ऐच्छिक संगठन को परामर्शी सेवायें
- एक्सटेंशन एवं आऊटरीच कार्यक्रम

हमारे क्लाइंट्स

मानसिक मंद व्यक्ति
मानसिक मंदन होने की जाखिम वाले व्यक्ति
विकासात्मक विलंब
सहित अन्य समस्यायें जैसे

- ऑटिज्म
- प्रमस्तिष्क अंगघात
- दृष्टि दोष
- अन्य कोई विकलांगता

रा.मा.वि.सं. के क्रियाकलाप

- मानव संसाधन विकास
- मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए सीधे सेवायें प्रदान करना
- पर्यवेक्षी व्यावसायिक बनाना
- प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षक बनाना(टीओटी)

पाठ्यक्रम/ प्रशिक्षण कार्यक्रम	निर्णय	अवधि
10 दीर्घावधि शैक्षिक कार्यक्रम <ul style="list-style-type: none">• 4 डिप्लोमा• 1 स्नातक• 5मास्टर कोर्स• (1 एम.फिल.सहित)	व्यावसायिकों को तैयार करना <ul style="list-style-type: none">• 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक अंतराक्षेपण• पुनर्वास थिरेपिस्ट• पुनर्वास मनोवैज्ञानिक• विशेष शिक्षक-समेकित/विशेष शिक्षा 18 वर्ष से अधिक आयु वाले के लिए व्यावसायिक अनुदेशक	1 से 2 वर्ष

इन सर्विस विद्यार्थियों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम	इन क्षेत्र में नवीनतम विकास के लिए अद्यतन	1 सप्ताह
इन सर्विस विद्यार्थियों के लिए प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	विशेष क्षेत्रों में /विषयों में विस्तृत प्रशिक्षण	1 महीना

- अनुसंधान एवं विकास
 - एक वर्ष में दिये गए समय पर 6-8 परियोजनाएँ चल रही हैं।
 - 66 अनुसंधान परियोजनाएँ पूरी की गई हैं।

➤ देखभाल एवं विकास की सेवाएँ

क्र.सं.	एकक	सेवा	कार्य	अवधि	
1.	सामान्य सेवायें	विशेष शिक्षा सेवायें	निर्धारण मूल्यांकन	45 मिन्ट	
		मनोवैज्ञानिक सेवायें		1 घंटा 15 मि.	
		चिकित्सा सेवायें		30 मिन्ट	
	थिरेप्युटिक सेवायें	फिजियो थिरेपी		45 मिन्ट	
		आक्युपेशनल थिरेपी			
		स्पीच थिरेपी			
		3 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक अंतराक्षेपण (ईआईएस)		2 घंटा	
		18 वर्ष से अधिक वयस्कों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं पुनर्वास		1 घंटा	
	अनुवर्ती सेवायें			व्यवहार परिवर्तन शैक्षणिक मार्गदर्शन परामर्श	30 मिन्ट
		रेफरल सर्विसेस/सेवायें		अगले परीक्षण एवं शैक्षणिक प्लेसमेंट के लिए संस्थानों के सहयोग के लिए रेफर करना	15 मिन्ट
		बायो केमिस्ट्री सर्विसेस		मेटाबोलिक एवं बायो केमिकल गडबडी को पहचानाना	15 मिन्ट
		इलेक्ट्रोइनसेफ्लोग्राम		मिरगी एवं मस्तिष्क संबंधी गडबडी को पहचानाना	15 मिन्ट
		इलेक्ट्रोमाईलोग्राफी		न्यूरो मरक्युलर गडबडी संबंधी पहचान	15 मिन्ट
	पोषण संबंधी परामर्श	कुपोषण के लिए पोषण	30 मिन्ट		

			की सलाह	
		जल चिकित्सा	विभिन्न शारीरिक समस्याओं का इलाजी	30 मिन्ट
2.	स्वजीवन यापन विभाग	18 वर्ष से अधिक मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए व्यावसयिक प्रशिक्षण	जनरिक प्रशिक्षण विशेष कौशल प्रशिक्षण जॉब प्लेसमेंट	नियमित कक्षा 10 से 1 बजे तक नियमित कक्षा 1.30 से 3.30 बजे सायं तक
3.	विशेष शिक्षा केन्द्र (एसईसी)	आरंभिक बाल्यवस्था विशेष शिक्षण की (ईसीएसई) की श्रेणी से पूर्व व्यावसाय पूर्व तक योग्यता के स्तर पर 3 वर्ष से 18 वर्ष पर अधारित ग्लाबल विकासात्मक कक्षाओं के लिए शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण में <ul style="list-style-type: none"> व्यक्तिगत सामाजिक शैक्षणिक व्यावसायिक एवं मनोरजनात्मक कौशल में प्रशिक्षण 	नियमित कक्षा 10 से 1 बजे तक ग्रूप कार्यक्रिलाप 1.30 से 3.30 बजे सायं तक
4.	मोबाईल सेवार्यें	घरेलू सेवार्यें	गंभीर एवं अति गंभीर मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए पुनर्वास	45 मिन्ट
5.	परिवार कुटीर सेवार्यें	आऊट स्टेशन में रहने वाले परिवारों के लिए आवास	अपने बच्चों को संभालने के लिए अभिभावकों को प्रशिक्षण	1 सप्ताह
6.	राहत देखभाल केन्द्र	अभिभावकों की भरमुक्ती (24 घंटे सवार्यें)	देखभाल कर्ताओं एवं विशेष विक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल	5 दिन तक
7.	संवेदी एकीकरण थिरेपी	संवेदी दोष वाले व्यक्तियों के लिए संसाधन कक्ष	अनुकूल सामग्री एवं पद्धति के प्रयोग द्वारा संवेदी एकीकरण	45 मिन्ट
8.	मनोरजनमु	अति गंभीर मानसिक मंद व्यक्तियों के लिए संसाधन कक्ष	पुनर्वास	45 मिन्ट
9.	एन.आई.ओ.एस.	धीमें सीखने वाले एवं अल्प मानसिक मंदन व्यक्तियों के लिए संसाधन कक्ष	एन.आई.ओ.एस.परीक्षाओं के लिए कोचिंग	45 मिन्ट
10.	ऑटिज्म	ऑटिज्म वाले व्यक्तियों के लिए संसाधन कक्ष	वैयक्तिक शैक्षणिक कार्यक्रम	30 मिन्ट
<p>सेवाओं के लिए सामान्य सेवा केन्द्र में पंजीकरण: फोन न.040-27751741-45, विस्तार 225 सेवा प्रभार में छूट के लिए सफेद राशन कार्ड अथवा आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें। कार्य दिवस: सोमवार से शुक्रवार अवकाश: सप्ताहांत एवं राष्ट्रीय पर्व</p>				

➤ प्रलेख्य एवं प्रचार

संस्थान में मानसिक मंदन और संबंधित क्षेत्रों में पूरी तरह से लैस संसाधन केन्द्र है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें व पत्र पत्रिकाएँ हैं।

- ✓ लगभग 12,000 प्रलेख्य
- ✓ लगभग 120 व्यावसायिक पत्र-पत्रिकाओं का अंशदान
- ✓ अभी तक 96 प्रकाशन
- ✓ कुछ अन्य अनुवादित
 - क्षेत्रीय केन्द्र जैसे- हिन्दी, तेलुगु, मराठी, मलियालम, उडिया, उर्दू, कश्मीरी
 - पूर्वोत्तर भाषाएँ- (एओ कोई जनजाति, असामी, बंगाली, गोरों, खासी, मणिपुरी, मिजो, नागम्से)
- ✓ जागरूकता पोस्टर्स, वीडियो फिल्लमस, शैक्षणिक फोल्डर्स, मल्टी मीडिया सी.डी. तैयार करना।
- ✓ बी जागरूकता बुलेटिन मॉडर्न एवं त्रैमासिक रा.मा.वि.सं. न्यूज लेटर

➤ विस्तारण एवं आऊटरीच कार्यक्रम:

क्र.सं.	कार्यक्रम	लाभान्वित	निर्णय	अवधि
1.	समुदाय आधारित पुनर्वास	सामान्य जनता शिक्षक विद्यार्थी एवं ग्रॉस रूट स्तरीय कार्यकर्ता	<ul style="list-style-type: none"> • जॉच एवं पहचान • रोकथाम एवं प्रारंभिक अंतराक्षेपण • विकलांगता निःशक्तजन पर अभिमुखीकरण • समुदाय जागरूकता को बढ़ावा संवेदीकरण प्रशिक्षण 	1-3 दिन
2.	राष्ट्रीय अभिभावक बैठक	अभिभावक	निःशक्तजनों से संबंधित विषयों पर चर्चा	2 दिन
3.	विशेष नियोक्ता बैठक	विशेष नियोक्ता	<ul style="list-style-type: none"> • मानसिक मंद व्यक्तियों की योग्यता पर जागरूकता निर्माण करने के लिए • रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने • स्वसमर्थन का विकास करना सांस्कृतिक कौशल एवं समूह सहभागिता में सुधार 	2 दिन
4.	कार्यशालायें	व्यावसायिक	प्रारूपों का विकास	3-5 दिन
5.	सम्मेलन एवं अधिवेशन	व्यावसायिक विद्यार्थी अभिभावक	<ul style="list-style-type: none"> • विकासों पर चर्चा विभिन्न नीतियों योजना बनाना एवं • प्रोत्साहित करना • सेल्फ एडवटाईजिंग विकास • वर्तमान परिदृश्य संबंधित विषय 	1-2 दिन
6.	अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रम	अभिभावक	अपने बच्चे की देखभाल प्रबंधन एवं प्रशिक्षण में अभिभावकों को सम्मेलन	1-4 दिन

	(पी.टी.पी) `		करना	
7.	पूर्वोत्तर क्षेत्र के कार्यक्रम	पूर्वोत्तर क्षेत्र के नागरिक	मानसिक मंदन पर जागरूकता निर्माण करना एवं गुणता सेवाओं को बढ़ावा देने के सरलीकरण में सहायता	1 सप्ताह से 1 महीना
8.	डी.डी.आर.सी. का आरम्भ(सा.न्याय और अधिकारिता मंत्रालय)	मानसिक मंद व्यक्ति	<ul style="list-style-type: none"> • जांच एवं पहचान • टी.एल.एम. का विवरण 	2-5 दिन

भविष्य की योजनाएँ

- मानसिक मंदन में मूल अनुसंधान
- ज्यादा आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम
- ना पहुँच वाले स्थान तक पहुँचने के लिए संबंधित लागू अनुसंधान

मार्गदर्शन एवं सहायता

यदि शिकायतें, नियुक्तियां हों तो नागरिक फैक्स या टेलीफोन द्वारा निदेशक/उपनिदेशक (प्रशा.) से संपर्क कर सकते हैं।

संपर्क विवरण:

राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान
मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद
आंध्र प्रदेश - 500 009

फोन न. 040-27751741-45

फैक्स न.: 091-40-27750198

E-mail: director@nimhindia.org

Website : www.nimhindia.org